

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9 / उपांकीट०अनु०—90 / 2012

प्रेषक,

सेवा में,

/ कृ०, पटना, दिनांक सितम्बर, 2014

विनय कुमार, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

श्री अंजनी बंका,
मेसर्स बायर क्रॉप साइंस लि०,
द्वारा—एन० बी० कन्सर्न,
भवनानी कॉमर्शियल कम्पलेक्स,
रेलवे हॉस्पीटल के सामने,
राजेन्द्र पथ, पटना—800001

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति संख्या 180—181 दिनांक 28.08.2008 वैद्यता
तिथि 31.12.2015 में Endorsment के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चलान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अनिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित कीटनाशियों का अनुज्ञाप्ति संख्या 180—181 दिनांक 28.08.2008 वैद्यता तिथि 31.12.2015 के अन्तर्गत Endorsment किया जाता है।

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम
1	मेसर्स बायर क्रॉप साइंस लि०	Fipronil 80% WG
2		Imidacloprid 17.8% SL
3		Fenoxsaprop-p-ethyl 9.3% EC
4		Betacyfluthrin 8.49%w/w+ Imidacloprid 19.81%w/w OD
5		Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG
6		Imidacloprid 0.5 % w/w RB
7		Fipronil 2.92%w/w EC

2—उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :— मेसर्स बायर क्रॉपसाइंस लि०, द्वारा—एन० बी० कन्सर्न, भवनानी कॉमर्शियल कम्पलेक्स, रेलवे हॉस्पीटल के सामने, राजेन्द्र पथ, पटना—800001

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञाप्त प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को सम्मय भेजे।

7—नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

1.15/11

8—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उपको
कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धारा के
तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(विनय कुमार)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।


ज्ञापांक

५१६०

/कृ०, पटना, दिनांक २१ सितम्बर, २०१४

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक
(उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने
हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।